न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : मुक्तानन्द अग्रवाल, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या –85/2019 (Bank Case)

इण्डिया बुल्स हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड रजिस्टर्ड पता एम–62–63, फर्स्ट फ्लोर कनाट प्लेस नई दिल्ली–110001 जरिये अधिकृत प्रतिनिधि

– प्रार्थी /सिक्योर क्रेडिटर

1. अशोक जैन प्रोपराईटर मैसर्स अशोक जैन निवासी हाउस नम्बर 3–डी 33, महावीर नगर विस्तार योजना महावीर नगर एक्सटेंशन कोटा व केयर ऑफ मैसर्स परौदी एन्टरप्राईजेज हाउस नम्बर 3–डी 33, महावीर नगर विस्तार योजना, महावीर नगर एक्सटेंशन कोटा, (राज.)
2. नीलेश जैन पत्नि अशोक जैन केयर ऑफ मैसर्स अशोक जैन निवासी हाउस नम्बर 3–डी 33, महावीरनगर विस्तार योजना महावीर नगर एक्सटेंशन कोटा व केयर ऑफ मैसर्स परौदी एन्टरप्राईजेज हाउस नम्बर 3–डी 33, महावीर नगर विस्तार योजना, महावीर नगर एक्सटेंशन कोटा, (राज.)

––(ऋणी)

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्यूरीटीजेशन रिक्सट्रक्शन आफ फाईनेंशियल एसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित

श्री अतुल शर्मा, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः 09.07..2019

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है इण्डिया बुल्स हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड रजिस्टर्ड पता एम–63, फर्स्ट फ्लोर कनाट प्लेस नई दिल्ली–110001 से अप्रार्थीगण ने ऋण अनुबंध संख्या HLAPKOTOO218528 दिनांकित 28.02.2015 से रूपये 34,56,109/– (अक्षरेः रूपये चौंतीस लाख, छप्पन हजार, एक सौ नौ मात्र) का ऋण लिया था । अप्रार्थी सं0 1 ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **अचल सम्पत्ति हाउस नम्बर 3–डी 33, महावीर नगर विस्तार योजना कोटा पर स्थित जिसका माप 726.3 वर्गफीट है, जिसकी चर्तुः सीमाएं– पूरब में– मकान नंबर 3–डी–16, पश्चिम में–** सड़क, उत्तर में– मकान नम्बर **3–डी–34, दक्षिण में– मकान नम्बर 3–डी–32 है । जो रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 12.11.2008 से श्री अशोक जैन पुत्र श्री दयाचन्द जैन के नाम है,** को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 18.12.2017 को एन.पी.ए. कर दिया गया । अप्राथी द्वारा उसके खाते मे 32,12,613/– (अक्षरे रूपये बत्तीस् लाख, बारह हजार, छः सौ तैरह मात्र) बकाया रकम दिनांक 18.12.2017 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है । प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 21.12.2017 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया । तथा नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र दैनिक नवज्योति में दिनांक 5.1.2018 को व टाईम्स ऑफ इण्डिया में दिनांक 4.1.2018 को प्रकाशन भी कराया इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज

जिला कलक्टर कोटा

Scanned by CamScanner

चुकाने मे चूक की है । ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नही संभलाया है । प्रार्थी बैंक द्वारा बंधक सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नही सम्भलाया है । प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उसके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान नही करने प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 21.12.2017 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया । तथा नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र दैनिक नवज्योति में दिनांक 5.1.2018 को व टाईम्स ऑफ इण्डिया में दिनांक 4.1.2018 को प्रकाशन भी कराया इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किय प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 21.12.2017 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया । तथा नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र दैनिक नवज्योति में दिनांक 5.1.2018 को व टाईम्स ऑफ इण्डिया में दिनांक 4.1.2018 को प्रकाशन भी कराया इसके बावजूद भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/ बंधककर्ता मे मे मे अचल सम्पत्ति हाउस नम्बर 3–डी 33, महावीर नगर विस्तार योजना कोटा पर स्थित जिसका माप 726.3 वर्गफीट है, जिसकी चर्तुः सीमाएं– पूरब में– मकान नंबर 3–डी–16, पश्चिम में– सड़क, उत्तर में– मकान नम्बर 3–डी–34, दक्षिण में– मकान नम्बर 3–डी–32 है । जो रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 12.11.2008 से श्री अशोक जैन पुत्र श्री दयाचन्द जैन के नाम है, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा । आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 09.07.2019 को सुनाया गया ।

(मुक्तानन्द अग्रवाल)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा

Scanned by CamScanner